न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 ...77/18 तारीखरजू:- 17/12/18

उनवानः– गौरा बनाम पप्पूराम वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 23.01.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 63/1.75, 75/2.02, 87/0.01, 88/1.62, 89/841/0.21, 90/842/0.21, 91/1.57, 92/1.89, 93/843/0.06 कुल किता 9 रकवा 9.34 है0 मे हिस्सा 1/6 तथा ख0न0 64/0.07, 89/0.22, 90/0.25, 93/0.10, 94/0.03, 95/0.15, 96/0.24, कुल किता 6 रकवा 1.06 है0 ग्राम झुनकी तहसील टोडाभीम जिला करौली रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश दिए जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.01.2019 को पेश हो।

57/9-21
17-12-18

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

23.1.19 प्रार्थी वकील उप0/ अप्रार्थी नं. 1 का रजि0 लिफाफा अदम तामील से प्राप्त हुआ है अप्रार्थी नं. 2 व 3 बावजूद सूचना उप. नही। P.O. सा. अन्य कार्य से व्यस्त है आईन्दा दिनांक 22.2.19 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
22.2.19	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनाक 28.3.19 को पेश हो।
28.3.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से करौली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 16.5.19 को पेश हो। रीडर
16.5.19	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 2,3 की रसीद AD प्राप्त किन्तु उपस्थित नही हो उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है अप्रार्थी नं. 1 का लिफाफा बिना पते के बाहर रहने के नोट के साथ वापिस प्राप्त हुआ हो प्रार्थी वकील ने समाचार पत्र के माध्यम से सूचना करने का कथन किया। वादी वकील स्वयं के खर्चे पर राजस्थान के दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशन कराकर समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत करे। पत्रा० दिनांक 28-6-19 को पेश हो।
1712 / 18-5-19	
MV	
28-6-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 5-8-19 को पेश हो।
5-8-19	प्रार्थी वकील उप०। गतानुसार दिनांक 3-9-19 को पेश हो।
3.9.19	प्रार्थी वकील उप०। गतानुसार दिनांक 7.10.19 को पेश हो।
7.10.19	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनाक 11-11-19 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

मु.नं. 77/18 उनवान - गोरा बनाम पपूराम

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

11.11.19 प्रार्थी वकील उप. समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु समय चाहा। समय दिया गया। समाचार पत्र में वादी पक्ष के खर्चे पर प्रकाशन कराकर समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 16.12.19 को पेश हो।

16.12.19
पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 8.1.20 को पेश हो।

8.1.20
वकुलाय [illegible] अधिकारी चुनाव ड्यूटी में पधारे है। [illegible] पत्रावली मतानुसार दिनांक 20.2.20 को पेश हो।

20.2.20
प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 के सम्मन की सूचना समाचार पत्र दिनांक 23.1.20 में प्रकाशन कराकर समाचार पत्र की फोटो प्रति पेश की है प्रतिवादी नं. 1 उपस्थित नहीं है। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दिनांक 4.3.20 को पेश हो।

4.3.20
प्रार्थी वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला तक कन्फर्म किये जाने का कथन किया। बहस सुनकर मनन किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दिनांक 17.12.18 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तादावा फैसला कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूं। अतः दिनांक 17.12.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा औरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम कुनकी स्थित आराजी ख.नं. 63/1.75, 75/2.02, 87/0.01, 88/1.62, 89/841/0.21, 90/842/0.21, 91/1.57, - 92/1.89 93/843/0.06, कुल किता 9 कुल रकबा 9.34 है०

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
	के हिस्सा 1/6 में तथा खसरा नम्बर 64/0.07, 89/0.22, 90/0.25, 93/0.10, 94/0.3, 95/0.15, 96/0.24 कुल किता 7 कुल रकबा 1.06 हे० में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।
	निर्णय आज दिनांक 4.3.20 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।
	(दुर्गा प्रसाद मीना) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:43:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: